# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2340 / FP/UK/ROAD/9552/2015 :देहरादून:दिनांकः9 मार्च, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा राज्य योजना अन्तर्गत ज्वारनैणी से बुकस्याल मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 4.8338 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
**(On line Proposal No FP/UK/ROAD/9552/2015)**

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/61/2015/एफ.सी./1525 दिनांक 08–10–2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 20,24,067.00 (रू0 बीस लाख चौबीस हजार सड़सठ) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बदले 9.6676 है0 ग्राम–मल्ला भटयूड़ा (3. 73 है0), पजैना (2.070 है0), उडियारी (2.089) एवं चिरातिनमिना (1.808 है0) कुल 9.700 है0 भूमि सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 31,75,807.00 (रू0 इक्कतीस लाख पिचहत्तर हजार सड़सठ) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी, की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट **(संलग्नक–3)** के आधार पर ऑनलाईन कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। ऑन–लाईन paid status की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 9/3/21
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

**संख्या :– / FP/UK/ROAD/9552/2015 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।